राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(11)न्याय/2011 जयपुर, दिनांक 12-10-2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कार्यालय जिला परिषद,
सीकर।

विषयः—श्री अमित कुमार बगड़िया, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद, सीकर को कार्यमुक्त करने बाबत्।

संदर्भः—आपका पत्र क्रमांकः—जिपसी/संस्था/2018/1369—70 दिनांक 03.10.2018 के क्रम में।

श्री अमित कुमार बगड़िया को कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.22(1)न्याय/2008 दिनांक 07.10.2011 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। श्री बगड़िया को कार्यभार सम्भालने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए नियत पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यालय जिला परिषद, सीकर में नियुक्त किया गया जिसकी पालना में श्री बगड़िया के द्वारा दिनांक 13.10.2011 को कार्यग्रहण किया गया। श्री अमित कुमार बगड़िया, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद, सीकर द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि दिनांक 13.10.2013 को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 21.01.2014 द्वारा श्री बगड़िया का नियमितिकरण कर दिया गया है। श्री अमित कुमार बगड़िया को इस विभाग की पदोन्नति आज्ञा क्रमांक प. 22(4)न्याय/2017 दिनांक 21.02.2018 द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। श्री बगड़िया का लियन इस विभाग में रखा जाएगा।

अतः श्री अमित कुमार बगड़िया, वरिष्ठ विधि अधिकारी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2018 के अनुसार आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांकः एफ(23—29)RPSC/Appt/ HRD/2017/4601 दिनांक 26.09.2018 के क्रम में कॉलेज व्याख्याता (असिस्टेन्ट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014) के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर विधि के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।

-ह०-
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद, सीकर।
2. श्री अमित कुमार बगड़िया, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद, सीकर।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली

12-10-18
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx